

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला-बड़वानी (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 198 / 2012
संस्थान दिनांक 16.05.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

राकेश पिता हीरालाल, आयु 22 वर्ष,
निवासी-ग्राम अजंदी, थाना ठीकरी,
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक _____ को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 48 / 2012 अंतर्गत धारा 279, 337, 304-ए भा.दं.सं. में दिनांक 16.05.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 24.03.2012 को दिन के लगभग 3:00 बजे, ग्राम बघाड़ी डांगरी के मध्य चन्दर के खेत के पास वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 10 ए. ए. 1704 को उपेक्षापूर्ण ढंग अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन सुभाष का जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित करने, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है, के संबंध में धारा 279 304-ए भा.द.सं के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। द.प्र.स. की धारा 294 के तहत अभियुक्त के अधिवक्ता ने मृतक सुभाष का शव परीक्षण स्वीकार किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रदर्शपी 12 डाला गया। इस प्रकार सुभाष की मृत्यु होना भी स्वीकृत है। अभियुक्त के अधिवक्ता ने जप्त ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 10 ए.ए. 1704 का यात्रिकीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 17 भी स्वीकार किया है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 24.03.2012 को फरियादी कल्याण, सुभाष, जितेन्द्र, सावन एवं ध्यानसिंह जेराम के ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 10 ए.ए. 1704 पर मजदूरी करने के लिए ग्राम बघाड़ी गये थे, ट्रेक्टर को राकेश चला रहा था, ग्राम बघाड़ी रेत डालकर वापस नाले-नाले जा रहे थे, तब उतार में ट्रेक्टर चालक राकेश ने तेजी एवं

लापरवाहीपूर्वक ट्रेक्टर को चलाया जिससे सुभाष गिर गया और ट्रेक्टर के पहिये में आ गया जिससे सुभाष की मृत्यु हो गई। पुलिस ने फरियादी कल्याण द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 10 ए.ए. 1704 के चालक राकेश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 48/2012 अंतर्गत धारा 304-ए भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी कल्याण की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शामौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया, पुलिस ने मृतक सुभाष की लाश का पंचायतनामा बनाने हेतु साक्षियों को प्रदर्शपी 3 का सफीना फार्म जारी कर प्रदर्शपी 4 का नक्शा लाश पंचायतनामा बनाया था। पुलिस ने साक्षियों के अभियुक्त राकेश से वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 10 ए.ए. 1704 को मय दस्तावेजों के तथा अभियुक्त राकेश की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 10 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने साक्षियों के समक्ष अभियुक्त राकेश को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 11 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया। अनुसंधान के दौरान ही पुलिस ने फरियादी कल्याण व साक्षीगण जितेन्द्र, ध्यानसिंग, सावन, यशवंत, काशीराम व सरदार के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 279, 304-ए भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त राकेश के विरुद्ध धारा 279, 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.03.2012 को दिन के लगभग 3:00 बजे, ग्राम बघाड़ी डांगरी के मध्य चन्दर के खेत के पास वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 10 ए. ए. 1704 को उपेक्षापूर्ण ढंग अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन से सुभाष का जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी कल्याण (अ.सा.1), सावन (अ.सा.2), जितेन्द्र (अ.सा.3), ध्यानसिंह (अ.सा.4), काशीराम (अ.सा.5) एवं प्रधान आरक्षक मेहतबासिंह चौहान (अ.सा.6) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है, इस संबंध में फरियादी कल्याण (अ.सा.1) का कथन है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है तथा मृतक सुभाष को जानता है। ढाई वर्ष पूर्व सुभाष की ट्रेक्टर से गिर जाने से मृत्यु हो गई थी, उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी तथा यह भी नहीं देखा था कि ट्रेक्टर कौन व्यक्ति चला रहा था, उसने दुर्घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर की थी जो प्रदर्शपी 1 है जिसका ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशांदेही पर प्रदर्शपी 2 का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था। सुभाष की लाश का पंचनामा बनाने हेतु प्रदर्शपी 3 का सफीना फार्म जारी किया था तथा प्रदर्शपी 4 का नक्शा लाश पंचायतनामा बनाया था जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना वाले दिन वह जितेन्द्र, सावन, ध्यानसिंह तथा सुभाष मजदूरी करने जयराम के ट्रेक्टर पर गये थे तथा ट्रेक्टर अभियुक्त चला रहा था, जिसने ट्रेक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चलाया, जिससे राकेश के ट्रेक्टर के नीचे सुभाष गिर गया, जिससे ट्रेक्टर के पहिये के नीचे आने से सुभाष की मृत्यु हो गई। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में तथा प्रदर्शपी 5 के पुलिस कथन में उक्त बातें लिखाने से स्पष्ट इंकार किया है। यहाँ तक कि साक्षी ने उक्त रिपोर्ट में ट्रेक्टर का नम्बर एवं अभियुक्त का नाम भी लिखाने से इंकार किया है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि वह अभियुक्त को पहचानने के कारण उसे बचाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह पढ़ा-लिखा नहीं है, केवल हस्ताक्षर करना जानता है। उसने पुलिस को किस वाहन से किसके द्वारा दुर्घटना हुई, यह नहीं लिखाया था। वह ट्रेक्टर पर मजदूरी करने भी नहीं गया था, उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी।

9. सावन अ.सा.2, जितेन्द्र अ.सा.3, ध्यानसिंग अ.सा.4, काशीराम अ.सा. 5 घटना के चश्मदीद साक्षी होना अभियोजन द्वारा बताये गये हैं, लेकिन उक्त किसी भी साक्षी ने अभियाजन के मामले का समर्थन नहीं किया है तथा उक्त सभी साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन के इन सुझावों से इंकार किया कि घटना वाले दिन अभियुक्त ने ट्रेक्टर को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर सुभाष की मृत्यु कारित की। यहाँ तक साक्षियों ने पुलिस को प्रदर्शपी 6 से लगायत प्रदर्शवी 9 तक कथन देने से भी स्पष्ट इंकार किया है।

10. प्रधान आरक्षक मेहताबसिंह चौहान अ.सा.6 ने थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 48/12 की विवेचना के दौरान प्रदर्शपी 2 का नक्शा मौका पंचनामा बनाने, सुभाष की लाश का पंचनामा बनाने हेतु प्रदर्शपी 3 का सफीना फार्म जारी करने तथा सुभाष की लाश का नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्शपी 4 बनाने तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने तथा अभियुक्त से ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 10 ए.ए. 1704 दस्तावेजों सहित जप्त करने तथा अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे साक्षियों ने प्रदर्शपी 5 लगायत 9 के कथन नहीं दिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने अभियुक्त से कोई वाहन या उसके दस्तावेज जप्त नहीं किये थे।

11. ऐसी स्थिति में जबकि प्रकरण के फरियादी स्वयं ने अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने से स्पष्ट इंकार किया है तथा शेष चश्मदीद साक्षियों ने भी अभियोजन के मामले का कोई समर्थन नहीं किया है तो यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 10 ए.ए. 1704 को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा सुभाष की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

12. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त राकेश के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित दोनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त राकेश को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279, 304—ए भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 10 ए.ए. 1704 दिनांक 02.04.2012 को उसके पंजीकृत स्वामी जयराम पिता किशनसिंह बड़ोले, निवासी—ग्राम घट्टी, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र. को सुपुर्दगी पर दिया गया है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाए। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी